KB/HYD/09-2006/10,000 Forms

निगम हिन्दी पत्राचार का स्वागत करता है

पंजीकृत पावती देय Registered AD सी/C-11

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

क्षेत्रीय कार्यालय/REGIONAL OFFICE <u>HYDERABAD</u>

संख्या/No. 52 - 26644 - 101

दिनांक/Date:

8 -12-2006

सेवा में/' मैसर्स /M	Constach Engineers & Consultants
	(P) Ltd., SRT - 916, GFI Sanathnagar, Contractivity
	Ws. Sanitech Engineers & Consultants (P) Ltd., SRT - 916, GFI Sanathnagar, Beside Rose Buds High School, HYDERABAD - 500 018. The Registration of independently The Registration of shop of ws a Shop of dues not The Registration of independently Shop of dues not Shop dues not the state of the st
	HYDERABAD - 500 018. Registration of
0	(P) Ltd., SRT - 916, GFI Sanathnagar, Contractoril   (P) Ltd., SRT - 916, GFI Sanathnagar, Contractoril   Beside Rose Buds High School, Pegistration of independently   HYDERABAD - 500 018. The adjust employer shop of us a   fara: antaint rised alter subtraction of independently Subscription of independently   fara: antaint rised alter subtraction of the E.S.I. Act, 1948 and Registration of Experies and Establishments under Section 2(12)/1(5) (State Act as amendeges) Subscription of the E.S.I. Act, 1948 and Registration of Experies and Establishments under Section 2(12)/1(5) (State Act as amendeges)   -000- A1 of engloyees of with or without Est contractories and Establishments under Section 2(12)/1(5) (State Act as amendeges)   -000- A1 of engloyees of with or without Est contractories and Establishments under Section 2(12)/1(5) (State Act as amendeges)   -000- A1 of engloyees with or without Est contractories with the end contractories with or without Est contractories with the end contrest contractories with contractories with t
र्ण्याटग	/Dear Sir/s,
	(Dear Oilys)
वि वे	गपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अधीन केन्द्रीय स्वकर्कर ने अधिसूचना संख्यादेनांकदेनांकदेतोंक
d	lated made the provisions of the Act applicable to all factories/establishments covered under the Act within the Area)
्र ।	ाह भी सूचित किया जाता है कि समुचित सरकार ने अधिनियम की धारा 1(5) के अधीन अधिसूचना संख्यातिनांकदिनांक ारा
1	(5) of the Act with effect from (vide notification No dated)
2	भधिनियम की धारा 2-क के अधीन ऐसे कारखाने/स्थापन को अधिनियम के अधीन पंजीकृत करना अनिवार्य है तथा अध्याय 4 के अन्तर्गत प्रधान नियोजक की 1ह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत कराए तथा अधिनियम के अधीन व्याप्त सभी कर्मचारियों के अंशदान की अदायगी करें। Jnder Section 2-A of the Act such a factory/establishment is required to register itself under the Act and chapter IV thereof casts a
Ċ	esponsibility on the principal employer thereof to insure his employees and pay contributions in respect of these employees covered under the Act.
3	आपके द्वारा भेजे गए आपके कारखाने/स्थापन के विवरण के अनुसार दिनांककी बीमा निरीक्षक/शाखा कार्यालय प्रबन्धक द्वारा आपके कारखाने/स्थापन की निरीक्षण संबंधी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आपका कारखाना/स्थापन दिनांकमें अधिनियम की धारा 2(12)/1(5) की सीमा में आता है। फिर भी यदि, बाद में जाँच करने पर यह बात सामने आती है कि आपका कारखाना/स्थापन उल्लिखित तारीख से पहले व्याप्ति योग्य था तो उस पिछली तारीख से अधिनियम की धाराओं का अनुपालन करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
(     	On the basis of the particulars in respect of your factory/establishment submitted by you, the report of the inspection conducted by the Insurance Inspector/Branch Office Manager who Inspected your factory/establishment on4-12-2006 your factory/ establishment falls within the purview of Section 2(12)/1(5) of the Act with effect from13-11-2006 In case, however, subsequent facts reveal that your factory/establishment was coverable from a date prior to the date mentioned above, you shall make yourself liable to comply with the provision of the Act from such earlier date.
	आपसे अनुरोध है कि आप अधिनियम के अधीन व्याप्ति की तरीख से आप अपने कारखाने/स्थापन के कर्मचारियों के घोषण-पत्र भरने तथा उनके पंजीकरण और अंशदान की अदायगी व रिकार्ड के अनुरक्षण संबंधी कार्रवाई तुरन्त करें तथा रिकार्ड आदि का अनुरक्षण करें।
	It is requested to take immediate steps for registration of your employees by submitting Declaration forms, payment of contribution, maintenance of record etc., from the date of coverage of your factory/establishment under the Act.
6.	आपकी सुविधा के लिए कारखाने/स्थापन को कूट संख्याआबंटित की गई है जिसका इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय प्रयोग किया जाए तथा उक्त संख्या सभी फामों में यथास्थान दर्शायी जाए।में स्थित निगम के शाखा कार्यालय को अनुदेश भेज दिए गए हैं किये आपके कर्मचारियों के पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया में आपकी हर संभव सहायता करें। कोई कठिनाई होने पर अथवा योजना से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के ये आपके कर्मचारियों के पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया में आपकी हर संभव सहायता करें। कोई कठिनाई होने पर अथवा योजना से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के बिला आप उपरिलिखित शाखा कार्यालय प्रबन्धक से संपर्क करें जो आपकी इस संबंध में हर संभव सहायता करेंगे।